

अवैध खनन पर कार्रवाई, 324 वाहनों को किया जब्त

हरियाणा में खान एवं भूविज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश में 3,950 स्थानों पर दी दबिश

● हरियाणा में अवैध खनन के खिलाफ चलाया जांच अभियान

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध अधिकारी चलाया जाएगा।

वर्तमान में राज्य में 222 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले 104 कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क की दरों में संरोधन करने का नियम लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सीने ने इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

वर्तमान में राज्य में 222 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें 2000

मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले 104 कोल्ड स्टोरेज, 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 55 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के प्रवक्ता ने गुरुवार को

चंडीगढ़ में जारी जानकारी में बताया

कि जनवरी माह से लेकर अब तक

जिला स्तर पर अधिकारियों ने विशेष

जांच अधिकारी चलाया,

जिसके तहत

3,950 स्थानों का निरीक्षण किया गया

है। इस दौरान अवैध खनन में

सलिस 324 वाहनों को जब तक विधाय

गया, जिससे करीब 1.37 करोड़ रुपये

का राज्य प्राप्त हुआ।

यमुनानगर जिला के भगवानपुर

गांव में अवैध खनन की शिकायत

मिलने पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई

करते हुए निरीक्षण किया। जांच में

पाया गया कि लगभग 2 एकड़ भूमि

पर अवैध रुप से बोल्ड, ग्रेवल, रेत

हर जिसे में नियमित जांच अधियान

कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार

पर अब लगेगा एकमुश्त शुल्क

किया जाएगा। इसी प्रकार, 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 55 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध अधिकारी चलाया जाएगा।

वर्तमान में राज्य में 222 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें 2000

मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता

वाले 104 कोल्ड स्टोरेज, 2001-

5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 91

तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे

अधिक क्षमता वाले 27 कोल्ड स्टोरेज

स्टोरेज सचालकों ने मुख्यमंत्री श्री

नायब सीने से मुलाकात कर

छोड़ कोल्ड स्टोरेज सचालकों

पर 35 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज

की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित

किया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के प्रवक्ता ने गुरुवार को

चंडीगढ़ में जारी जानकारी में बताया

कि जनवरी माह से लेकर अब तक

जिला स्तर पर अधिकारियों ने विशेष

जांच अधिकारी चलाया,

जिसके तहत

3,950 स्थानों का निरीक्षण किया गया

है। इस दौरान अवैध खनन में

सलिस 324 वाहनों को जब तक विधाय

गया, जिससे करीब 1.37 करोड़ रुपये

का राज्य प्राप्त हुआ।

यमुनानगर जिला के भगवानपुर

गांव में अवैध खनन की शिकायत

मिलने पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई

करते हुए निरीक्षण किया। जांच में

पाया गया कि लगभग 2 एकड़ भूमि

पर अवैध रुप से बोल्ड, ग्रेवल, रेत

हर जिसे में नियमित जांच अधियान

के अन्तर्गत चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लगातार हो रही खनन की

घटनाओं पर रोक लगाने के लिए

खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश

भर में अवैध खनन मार्फत के विरुद्ध

अधिकारी चलाया जाएगा।

सरकारी समाचार

बांग्लादेश में अनिश्चितता

यूनास सरकार पर दबाव

बांगलादेश की सेना ने बढ़ती अराजकता एवं संबंधों में गिरावट के समय यह कह कर यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह भारत के साथ मजबूत संबंध चाहती है। बांगलादेश वर्तमान समय में राजनीतिक अनिश्चितता तथा अशांति का शिकार है क्योंकि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार तथा देश में शक्तिशाली सैनिक अवस्थापना के बीच भी विरोधाभास पैदा हो गए हैं। हाल ही में ढाका इंटरनेशनल मैराथन, 2025 में सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने स्थिविलियन सरकार के प्रति सेना के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन का संकेत दिया। उन्होंने शार्ति, स्थायित्व तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, खासकर भारत के साथ सहयोग पर जोर दिया। इससे सेना की कतारों में यूनुस प्रशासन की नीतियों व शासन के दृष्टिकोण के प्रति बढ़ते विरोध का संकेत मिलता है। बांगलादेश की सेना ने ऐतिहासिक रूप से आंतरिक स्थायित्व बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अक्सर राजनीतिक संकट काबू के बाहर जाने पर उसने हस्तक्षेप किया है। यूनुस सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण लगता है कि सेना स्वयं को प्रशासन से दूर रख रही है जो देश के सत्ता समीकरणों में बदलाव का संकेत है। यूनुस सरकार से सेना के असंतोष के अनेक कारण हो सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि सेना को यूनुस सरकार के नेतृत्व में खराब होती आर्थिक स्थितियों तथा बढ़ते सामाजिक तनाव की चिन्ता है। लगातार जारी राजनीतिक अशांति के कारण विदेशी



खास चिन्ता का विषय है। बांग्लादेश का सैनिक नेतृत्व प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देता है। भारत के बारे में जनरल वकार की टिप्पणी से ऐसे व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोण के प्रति सेना की इच्छा प्रकट होती है जिसमें लोकरंजक लफाजी के आधार पर बने वैचारिक दृष्टिकोणों के बजाय स्थायित्व तथा परस्पर लाभ को प्राथमिकता मिलती हो। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा के बयान में जोर दिया गया है कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में प्रमुख साझीदार है। इस बयान से बांग्लादेश की विदेश नीति में रणनीतिक समीक्षा की स्थिति रेखांकित होती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ‘अनेक मामलों में भारत पर निर्भर है’ तथा दोनों देशों को एक दूसरे के रणनीतिक हितों का सम्मान करना चाहिए। जनरल का यह बयान नई दिल्ली के साथ निकट संबंधों की पैरवानी करता लगता है। भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं जिनमें व्यापार, ऊर्जा सहयोग तथा ढांचागत परियोजनायें शामिल हैं। भारत के साथ स्थाई संबंधों से निरंतर आर्थिक वृद्धि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। आतंकवाद-विरोधी प्रयासों में सहयोग तथा सीमा प्रवंधन शांति और स्थिरत्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। बांग्लादेश का सैनिक नेतृत्व शायद भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्ष में है क्योंकि इसका अथं संतुलित विदेश नीति अपनाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ढाका किसी क्षेत्रीय शक्ति पर अत्यधिक निर्भर न होने पाए। वर्तमान समय में बांग्लादेश में सिविल सरकार और सेना के बीच बढ़ती विसंगतियों का संकेत मिलता है, जबकि आने वाले महीनों में देश की दिशा निर्धारित करने में सिविलियन नेतृत्व तथा सैनिक अवस्थापना के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

‘विश्व रेडियो दिवस’ मनाते समय ‘मन की बात’ हमें याद दिलाती है कि संप्रेषण के आधार वही बने हुए हैं। इनमें लोगों को जोड़ना, प्रेरित करना तथा उनको एकसाथ लाना शामिल है।



रे डियो केवल एक माध्यम न होकर
एक ऐसी जीवनरेखा है जो
सीमाओं को पार कर लोगों को एकसाथ
जाड़ती तथा उनके स्वरों को विस्तार देती
है। 'विश्व रेडियो दिवस' मनाते समय
दुनिया इस स्थाई मंच की शक्ति का उत्सव
मना रही है। भारत इस उत्तेजनीय संचार
क्रांति में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी के मासिक प्रसारण 'मन की
बात' की हाल ही में 118वीं कड़ी प्रसारित
हुई। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल युग
में भी रेडियो एक पुनर्जीवन का अनुभव
कर रहा है और यह सुशासन, अभिप्रेरणा
तथा भावनात्मक राजनय का सर्वाधिक
प्रभावी उपकरण सिद्ध हो रहा है।

जब यानवको वे 2011 में 13 प्रभावी



सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय उपलब्धियों की भी चर्चा करती है। इस दृष्टिकोण से 'मन की बात' की 118वीं कड़ी भी कुछ अलग नहीं थी। इसमें उन विमर्शों को शामिल किया गया था जो राष्ट्र-निर्माण की भावना पैदा करते हैं, पर्यावरण के प्रति चेतना का विस्तार करते हैं तथा सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पर जोर देते हैं। अपने राष्ट्रीय आकर्षण के साथ ही 'मन की बात' भारत की भावनात्मक राजनय का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। दुनिया भर में रहने वाले अनिवासी भारतीय बड़ी जिज्ञासा से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इस प्रकार वे अपनी जनभूमि से एक प्रकार से जुड़ाव का अनुभव करते हैं। इसका प्रसारण राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाता है और अक्सर इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी होता है।

'मन की बात' का प्रसारण दक्षिण एशिया की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में होता है जिससे पड़ेसी देशों के साथ भारत के राजनायिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे रहे भारत ने अपनी भावनात्मक प्रत्यावर्ती विचार विद्यों के द्वारा ऐसी रेकिर्ड

राष्ट्र की ऐसी छवि उभरती और मजबूत होती है जिसमें संवाद, साझा विरासत तथा सहयोग को महत्व दिया जाता है। दक्षिण एशिया दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जो गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक व भाषाई संबंधों से बंधा है। इन स्थितियों में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित 'मन की बात' एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस अत्यधिक लोकप्रिय कार्यक्रम के विषयों में आत्मनिर्भरता, समुदाय-संचालित पहलें, पर्यावरण का टिकाऊपन तथा युवाओं का सशक्तीकरण शामिल हैं। ये विषय न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये भारत के पड़ोसी देशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं।

ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया में अक्सर समन्वय के प्रयासों को अनेक राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में रेडियो का पुनर्जीवन असाधारण संभावनाओं से भरा लगता है। 'मन की बात' के माध्यम से भारत की रेडियो-राजनय में भी असाधारण संभावनायें सामने आती हैं।

इससे साझा विकासोन्मुख विमर्श विकसित हो सकते हैं तथा क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच साझा महत्वाकांक्षाओं का विकास भी हो सकता है।

‘मन की बात’ की 118वें कड़ी ने यह प्रदर्शित किया है कि रेडियो का प्रयोग जलवायी सहभागी माध्यम के रूप में कैसे किया जा सकता है। नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद में अक्सर श्रोताओं द्वारा लिखे पत्रों तथा उनके संदेशों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। जन-केन्द्रित प्रशासन पर इस प्रकार जोर दे कर ‘मन की बात’ जनता के विभिन्न समूहों के बीच संवाद का विशिष्ट ‘स्पेस’ तैयार करता है। यह उन सोशल मीडिया प्लेटफर्मों से एकदम अलग है जो अक्सर विभाजित तथा शोर व प्रतिध्वनि से भरे होते हैं। इसका कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो एक ऐसी एकीकरण शक्ति के रूप में सामने आया है जो जनता को अबाध रूप से तथा गहराई से आपस में जोड़ता है।

‘मन की बात’ में तमिलनाडु के मछुआरों से लेकर पंजाब के किसानों तथा मेघालय के छात्रों से लेकर गुजरात के उद्यमियों की बातें शामिल होती हैं। इसका

हर भारतीय से से बात करता है। अपनी कहानी कहने की शक्ति के माध्यम से यह कार्यक्रम अनाम नायकों, छोटे बिजनेसों तथा संस्कृति के संरक्षकों के स्वर सामने लाता है। रेडियो हमेशा से प्रभावशाली माध्यम रहा है, पर 'मन की बात' ने परंपरागत प्रसारण को आधुनिक डिजिटल समन्वय से जोड़ कर एक कदम आगे बढ़ाया है। इस कार्यक्रम को एकसाथ अनेक प्लेटफर्मों पर जारी किया जाता है जिनमें समुदायिक रेडियो स्टेशन, आल इंडिया रेडियो-एआईआर, पाडकास्ट और सोशल मीडिया चैनल शामिल हैं।

इस हाइब्रिड माडल ने सुनिश्चित किया है कि सदेश हर प्रकार की जनसंख्या तक पहुंचे जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का प्रयोग करने वाले ग्रामीण किसान से लेकर स्मार्टफोन एप से जुड़ने वाले पेशेवर शहरी लोग तक शामिल हैं। 'विश्व रेडियो दिवस' पर जब दुनिया भर में रेडियो के पुनर्जीवन और प्रभाव पर चर्चा हो रही है, ऐसे में 'मन की बात' एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आता है कि कैसे इस माध्यम का प्रयोग राष्ट्र-निर्माण व राजनय में किया जा सकता है। दुनिया भर के देश भारत द्वारा एक उपकरण के रूप में रेडियो के प्रयोग से सबक सीख सकते हैं जो रचनात्मक संवाद, नेतृत्व से संवाद तथा वैश्विक संपर्क का माध्यम बन गया है।

ऐसे युग में जब ध्वनीकरण व्यापक हो गया है, रेडियो की क्षमता सामूहिक चेतना विकसित करने के रूप में सामने आई है। यह विशाल व विविधतापूर्ण भारत के लिए ज्यादा मूल्यवान है। 'मन की बात' में उन स्वरों को एकीकृत किया गया है जो लोगों की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर की शक्ति, शब्दों के जादू तथा मौखिक कहानी कहने जैसे गहन तत्वों के कारण यह कार्यक्रम एक राजनीतिक पहल से आगे बढ़ कर एक सांस्कृतिक अवधारणा बन गया है। दुनिया इस समय परंपरागत संप्रेषण प्लेटफर्मों को पुनर्जीवित करने के तरीके खोज रही है।

ऐसे में भारत के उदाहरण से स्पष्ट है कि रेडियो न केवल जीवंत बना हुआ है, बल्कि यह डिजिटल युग में भी फल-पूल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मासिक 'मन की बात' कार्यक्रम इस पुनर्जीवन का नेतृत्व करते हुए यह सिद्ध कर रहा है कि 'डिजिटल शॉर' के युग में भी मानवीय सत्त्वों में सबक बढ़ावे दाने से बढ़ावे दाने

एक आरथा, एक जगत

स्थापित करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने लोगों को एक साथ मंच पर लाने और

प्रत्येक धर्म की बेहतर समझ और स्वीकृति बनाने के तरीके और साधन खोजने का बार-बार प्रयास किया है। लेकिन उनके कठिन प्रयासों के बावजूद, बहुत कुछ नहीं बदला है। इसलिए, वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभिन्न धर्म और आस्थाएं कभी एकजुट हो सकती हैं? यदि हाँ, तो कैसे?

A silhouette of a person standing with arms outstretched, looking up at a flock of birds flying in a clear blue sky over rolling green hills.

दुनिया भर में संगठित समूहों को धर्म के नाम पर आतंक फैलाने और दुनिया से बुराई को दूर करने के नाम पर जातीय सफाया करने की कसम खाते हुए देखना बहुत भयावह है। अगर हम

अविश्वास और शत्रुता को बढ़ावा दिये हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि, अपनी स्थापना के समय, हर धर्म में पवित्रिता, सच्चाई और एकता की शक्ति थी। धीरे-धीरे, दरारें, गुटबाजी, उथल-पुथल, भ्रम छल और आध्यात्मिक महत्व से रहिया रहे। देने लगे इसलिए, आध्यात्मिक मूल्यों को सशक्ति बनाने के बजाय, धर्मों ने हठधर्मिता, अनुशासन और बाधाओं को कायम रखने जो लोगों को कई तरह से अलग-थलग

कर देते हैं। कई लोग उन्हीं बुराइयों का शिकार हो जाते हैं जिनके खिलाफ वे उपदेश देते हैं, जैसे सत्ता, सुख और पैसे की लालसा। प्रत्येक धर्म की बेहतर समझ, सहिष्णुता और स्वीकृति हो सकती है, लेकिन जब तक एक या आम विश्वास न हो, एकता नहीं हो सकती। तो, सभी धर्मों को स्वीकार्य एक आम समाधान तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर्वोच्च सर्वशक्तिमान द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के अनुसार, मानव संसार के चरण को देख रहे हैं, और धर्म भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया से अछूते नहीं हैं। इसलिए, हम सभी धर्मों में निहित आध्यात्मिकता के संदर्भ में ही एकीकृत आस्था की कल्पना कर सकते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, और सच्चा धर्म उस सत्य का प्रतीक है। इसलिए, जब मनुष्य अपने हृदय में उस सत्य को अपना लेंगे, तो एक एकीकृत दुनिया होगी। इसलिए, आइए हम सभी एक एकीकृत आस्था के साथ एकजुट होकर उस नई दुनिया का स्वागत करें जहां

गुजरता है, जिसका अर्थ है कि सब कुछ एक परिपूर्ण अवस्था से अपूर्ण, खंडित अवस्था में बदल जाता है। चाहे वह मानव आत्मा हो, प्रकृति हो, धर्म हो या सभ्यता हो, लगभग सब कुछ सतो (शुद्ध), रजो (मिश्रित) और तमो (अशुद्ध) अवस्थाओं से गुजरता है क्योंकि समय चक्र स्वर्ण युग से लौह युग तक धूमता है।

आज हम मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं के तमो-प्रधान (सबसे परित) चरण को देख रहे हैं, और धर्म भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया से अछूते नहीं हैं। इसलिए, हम सभी धर्मों में निहित आध्यात्मिकता के संदर्भ में ही एकीकृत आस्था की कल्पना कर सकते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, और सच्चा धर्म उस सत्य का प्रतीक है। इसलिए, जब मनुष्य अपने हृदय में उस सत्य को अपना लेंगे, तो एक एकीकृत दुनिया होगी। इसलिए, आइए हम सभी एक एकीकृत आस्था के साथ एकजुट होकर उस नई दुनिया का स्वागत करें जहाँ

आह कैसा तारा?

ਮਿਲਾਮੀਤਾ ਪਾਇ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेवड़ी व मुफ्तखोरी को लेकर विचारोत्तेजक प्रश्न किया गया है कि क्या ऐसा कारके हम लोगों को परजीवी नहीं बना रहे हैं ? बेहद विचारणीय है । जब से राजनीतिक दलों द्वारा बोट व सता के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का उपक्रम चला है, तब से ही इन अखबारों के पन्नों पर खातातों को लेकर काफी कुछ लिखा गया है । लेकिन विडंबना की बात है कि राजनीतिक दलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि नई-नई मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं बढ़ती गईं । कहीं लाडली बहन के नाम पर तो कहीं लाड़की बहन, न जाने क्या-क्या ? इतनी रेवड़ी की घोषणाएं सुन सुन कर कान पक जाए, मगर ये दल-बल वाले नहीं अधिक हैं । मुफ्तखोरी का एक कुपरिणाम यह भी है कि जब इंसान को मुफ्त में मिलने लग जाता है तो निश्चित ही माले मुफ्त दिलएबरहम की कहावत चरितार्थ होने लग जाती है । कोई भी काम करना नहीं चाहता क्योंकि अल्लाह दे खाने को तो क्यों जाएं कमाने को ? साथ ही अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़ दे तो शत-प्रतिशत यह पैसा शराब/ नशाखोरी में भी जा रहा है । सुप्रीम कोर्ट की यह सीख जमीनी स्तर पर कितनी आत्मसात कर पाएंगे ये राजनीतिक दल यह देखने वाली बात है ! मगर यह कोई पहली बार टिप्पणी नहीं की जा रही है । समय-समय पर पहले भी टिप्पणी की गई, लेकिन देशभक्त जनसेवकों के कानों में जूँ तक नहीं रेंगती है ।

गो रेवड़ी संस्कृति पर सर्वोच्च
लालने कहीं बार राजनीतिक
को फटकार लगाई है, किन्तु
बार उसने रेवड़ी बांटने के
भावों पर भी खुलकर बोला
मुफ्त की रेवड़ी के चलन का
यों तो स्वर्गीया जयललिता
जाता है किन्तु इस चलन को
न चढ़ाया कठूर ईमानदार
वन्द के जरीवाल ने। फिर यह
मण धीरे-धीरे सभी
रीतिक दलों में फैल गया।
दल इस रेवड़ी बांट को
वंत के कार्य कहते हैं तो कुछ
जनता का अधिकार। किन्तु
निसन्देह घूस देकर मत
दिना है। शीर्ष न्यायालय ने
कुल ठीक कहा है कि मुफ्त में
होते जा रहे हैं यह प्रत्यक्षता
भी रहा है। एक समय
मजदूरी के लिए घर - घर
काम के लिए पूछते थे,
आज मजदूरों के घर के
लगाने पड़ते हैं। इससे कार्य
भी प्रभावित होते हैं।
बजट का एक बहुत बड़ा
रेवड़ी बांटने में खर्च हो जा
केन्द्र सरकार का मुफ्त
बांटना भी मुफ्त की रेवड़ी
जिसे खरीदने के लिए
मौहल्लों में ठेले वालों को
लगाते देखा जा सकता
तुरन्त बन्द होना चाहिए।
अवश्य हो सकता है कि
लोगों को कम मूल्य पर
उपलब्ध कराया जाए।

लिंगांबण की व्यवस्था

संस्कृति और संस्कारो के बगैर हमारी भौतिक प्रगति कुछ भी माने नहीं रखती है। संस्कारो का अभाव देश और समाज को खोखला करता है। बेशक हम नई सोच रखे लेकिन वह सोच संस्कृति और संस्कारो पर आधात न पहुँचाये इसका भी ध्यान रखे। क्योंकि संस्कार ही जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि पर जो परोसा जा रहा है उससे सामाजिक संतुलन के अस्तित्व पर संकरत खड़ा हो रहा है। एकस से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसे अश्लील कॅटेंट की भरपार हैं, जो नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इनमें से अधिकांश सामग्री पश्चिमी समाज और संस्कृति की नकल है। देश और समाज में अप संस्कृति की हवा बहाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि डिजिटल कॅटेंट की निगरानी की जाए। इंटरनेट मीडिया पर अपलोड होने वाली सामग्री का का विनियमन किया जाए ताकि भविय में मनोरंजन एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता फैलाने एवं पावन पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली अभद्र और अर्थादित इत्यणी करने का दुस्साहस न करे।

- विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

मशीन चोरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे को जमानत दी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी दी है। जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्चतम न्यायालय का स्व बिकाया था। न्यायमिति एम. एम. सुरेश और न्यायमिति राजेश बिंदल की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश की जमानत कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका कर दी गई थी। पीठ ने 10 फरवरी के अपने आदेश में कहा, इसलिए आदेश को रद्द किया जाता है और अधीकरकर्ताओं को उन शर्तों व नियमों के अधीन जमानत करने की खिलाफ 2022 में अप्राधिक मामला दर्ज किया गया था कि यह आजम खान को खाचिक कर दिया जाना चाहिए है, जो अधिनियम उनकी जमानत कर दिया जाना चाहिए है। पीठ ने 10 फरवरी के अपने आदेश में कहा, इसलिए आदेश को रद्द किया जाता है और अधीकरकर्ताओं को उन शर्तों व नियमों के अधीन जमानत करने की खिलाफ 2022 में अप्राधिक मामला दर्ज किया गया था कि यह आजम खान को खाचिक कर दिया जाना चाहिए है, जो अधिनियम उनकी जमानत कर दिया जाना चाहिए है।



पीठ ने 10 फरवरी के अपने आदेश में कहा, इसलिए आदेश को रद्द किया जाता है और अधीकरकर्ताओं को उन शर्तों व नियमों के अधीन जमानत करने की खिलाफ 2022 में अप्राधिक मामला दर्ज किया गया था कि यह आजम खान को खाचिक कर दिया जाना चाहिए है, जो अधिनियम उनकी जमानत कर दिया जाना चाहिए है।

